न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 85/21

1. राजा पत्नि सुभान खां जाति मुसलमान निवासी 13 केएचएम, दन्तौर तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज.।

.....

वादीया

बनाम

1 हसन खां पुत्र श्री फैजू खां
2 आशिक खां पुत्र श्री फैजू खां } जाति मुसलमान निवासी 13 केएचएम तहसील खाजवूाला
3 आयशा पुत्र श्री फैजू खां } जिला बीकानेर।
4 तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला जिला बीकानेर।

....

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट

–: निर्णय :– **दिनांक :–**

वाद का ब्यौरा इस प्रकार से है की चक 13 केएचएम के मुरब्बा नंबर 19/39 का किला नंबर 25, मुरब्बा नंबर 19/47 का किला नंबर 21 से 25 और मुरब्बा नंबर 19/48 का किला नंबर 2 से 5 वादी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। मुरब्बा नंबर 19/48 का किला नंबर 6 से 19 तथा 12 से 21 प्रतिवादी के नाम दर्ज है।

दोनों पक्षों के बीच जमीन की सीमा को लेकर विवाद है। प्रतिवादीगण सीमा ज्ञान करवाना चाहते हैं। वादी का कहना है उसने अपनी जमीन पर काश्त की हुई है। प्रतिवादीगण सीमा ज्ञान की आड़ में उसकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर फसल को नष्ट करना चाहते हैं। इसलिए इस आशय का स्थगन आदेश जारी किया जाए की फसल काश्त के दौरान सीमाज्ञान ना करवाया जाए।

अदालत द्वारा बाद में जिक्र किए गए तथ्यों और सुसंगत कानूनी प्रावधानों पर गौर किया गया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 और 128 के तहत सीमा विवाद का हल करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है। जांच अधिकारी द्वारा इस प्रक्रिया की पालना करते हुए, मुस्तकिल बिंदु से जमीन का नाप कर, पहले यह समाधान किया जाएगा कि किस खातेदार ने दूसरे खातेदार की जमीन पर नाजायज कब्जा किया हुआ है। उसके बाद नाजायज कब्जा धारी को बेदखल करने के लिए भी कानून द्वारा प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसलिए वादी का यह कहना की सीमा ज्ञान की आड़ में प्रतिवादीगण उसकी जमीन पर नाजायज कब्जा कर सकते हैं या उसकी फसल को नष्ट कर सकते हैं, सस्टेनेबल नहीं है।

इसलिए धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:47:11 IST
Reason: SelfAttested